17.5.19 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-
न्याय आपके द्वार के आलोक केन्द्र
सणाया मानसी मे पेश हुई।
वकील प्रवादीगण तथा विप्रवादीगण के
लोक अदालत नोटिस तामील करवाकर प्राप्त
हुई। विप्रवादीगण बाहर रहने के कारण
नहीं होने पर उपस्थित कार्यवाही आगम
मे नहीं आती है। कारण एवं नहीं।
प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर
विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल
निस्तारण किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सणपा मानजी)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.03 / 2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 भीखसिंह पुत्र छगनसिंह		1 लूणसिंह पुत्र अमरसिंह
2 जेठूसिंह पुत्र छगनसिंह		2 मानसिंह पुत्र अमरसिंह
3 नरसूसिंह पुत्र छगनसिंह		3 ढेलीकंवर पत्नि अमरसिंह
4 इन्द्रसिंह पुत्र छगनसिंह		4 किस्तुरसिंह पुत्र लालसिंह
5 सूजानसिंह पुत्र छगनसिंह		5 रूधनाथसिंह पुत्र लालसिंह
6 मोगीकंवर पुत्री छगनसिंह		6 सांवलासिंह पुत्र लालसिंह
7 बबरीकंवर पत्नि छगनसिंह		7 हीरा पुत्र सोना
8 भंवरा पुत्र टीकमा		8 पीरा पुत्र सोना
9 वस्ता पुत्र टीकमा		9 दुर्गा पुत्र सोना
10 आसू पुत्र टीकमा		10 वरजू बेवा सोना
11 अर्जुन पुत्र टीकमा		11 मांगा पुत्र पूनमा
12 लाधू पुत्र थाना		12 हंजा पुत्र पूनमा
13 उदा पुत्र थाना		13 जगमाल पुत्र पूनमा
14 दुर्गा पुत्र थाना		14 चुनाराम पुत्र राणजी
15 ठाकरा पुत्र थाना		15 कालू पुत्र लिछमणा
जाति पुरोहित निवासी सोढ़ों की		16 तुलछा पुत्र लिछमणा
ढाणी,सणपा मानजी		17 हिमता पुत्र रतना
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		18 मांगा पुत्र रतना
		19 मांगा पुत्र रतना
		20 भूरा पुत्र रतना
		21 हजारी पुत्र कनीराम
		22 शंकर पुत्र कनीराम जातियान पुरोहित
		23 सूजाराम पुत्र विशनाराम जाति भील

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी सिणधरी)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

निवासीयान सोढ़ों की बस्ती,सणपा मानजी तहसील सिणधरी
24 ग्राम पंचायत सणपा मानजी तहसील सिणधरी
25 सोहनसिंह पुत्र कनीरामसिंह जाति पुरोहित निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थितिः–

1 श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता–प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित
2.विप्रार्थीगण–एकरतफा

आदेश

दिनांक– 17.5.17

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

1.संक्षिप्त मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 482/328 रकबा 13.19 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 482/328 रकबा 13.19 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

का ही होगा ।इसमें मेरा/ हमारा कोई तालुक नहीं होगा ।फक्त तारीख

Scanned by CamScanner

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 482/328 रकबा 13–19 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 482/328 रकबा 13.19 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 482/328 रकबा 13–19 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 482/328 रकबा 13—19 बीधा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

17/5/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17/5/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

17/5/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner